



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012025-260421  
CG-DL-E-24012025-260421

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]  
No. 61]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 2025/ माघ 1, 1946  
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 2025/ MAGHA 1, 1946

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2025

फा. सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए—राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) की धारा 54 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खंड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की सिफारिशों पर, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न अन्य बांधों के लिए बांध सुरक्षा उपाय विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं--(1) इस विनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

(2) ऐसे शब्दों और पदों के, जो इस विनियम में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, के क्रमशः, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं।

3. तीन मीटर से कम ऊंचाई वाले विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न अन्य बांधों के लिए स्वामियों द्वारा किए जाने वाले उपाय-विनिर्दिष्ट बांध से भिन्न अन्य बांध के, जिसकी ऊंचाई सामान्य नींव क्षेत्र के निम्नतम हिस्से से बांध के शीर्ष तक तीन मीटर से कम है, प्रत्येक स्वामी को ऐसे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे, अर्थात् :--

- (i) अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसे बांधों का डेटाबेस बनाए रखना;
- (ii) विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न अन्य बांध के रखरखाव और मरम्मत के लिए पर्याप्त और विशिष्ट निधि निर्धारित करना और राज्य बांध सुरक्षा संगठन की सिफारिशों को कार्यान्वित करना;
- (iii) बांध विनिर्माण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय विनियम, 2024 के विनियम 3 में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का अनुपालन करना।

4. तीन मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न अन्य बांधों के लिए स्वामियों द्वारा किए जाने वाले उपाय--विनिर्दिष्ट बांध से भिन्न अन्य बांध के, जिसकी ऊंचाई सामान्य नींव क्षेत्र के निम्नतम हिस्से से बांध के शीर्ष तक तीन मीटर या उससे अधिक है, प्रत्येक स्वामी को ऐसे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने होंगे, यथा :--

- (क) अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में ऐसे बांधों का डेटाबेस बनाए रखना ;
- (ख) वर्ष के दौरान कम से कम एक बार, अधिमानतः जनवरी और मई के बीच निम्नलिखित तरीके से निरीक्षण करेगा, यथा:--
  - (i) विनिर्दिष्ट मिट्टी या चट्टानी बांध से भिन्न प्रत्येक बांध का निरीक्षण अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में दर्ज किया जाएगा ;
  - (ii) विनिर्दिष्ट कंक्रीट या चिनाई बांध से भिन्न प्रत्येक बांध का निरीक्षण अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में दर्ज किया जाएगा;
  - (iii) अनुसूची 1 या अनुसूची 2 के अतिरिक्त, हाइड्रो-मैकेनिकल घटकों वाले विनिर्दिष्ट बांधों के भिन्न प्रत्येक बांध के लिए, निरीक्षण अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में दर्ज किया जाएगा ;
  - (iv) निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन को भेजी जाएगी ;
  - (v) किसी भी समय, बांध में संकट या असामान्य व्यवहार के किसी भी संकेत के दिखाई देने की दशा में, तत्काल विशेष निरीक्षण भी किया जाएगा ;
  - (vi) बांध स्वामी, निरीक्षण के पश्चात् तकनीकी विशेषज्ञों के प्राप्त परामर्शके अनुसार उपचारात्मक उपाय करेगा;
- (ग) विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न अन्य बांध के रखरखाव और मरम्मत के लिए पर्याप्त और विशिष्ट निधि निर्धारित करना और राज्य बांध सुरक्षा संगठन की सिफारिशों को कार्यान्वित करना ;
- (घ) बांध विनिर्माण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण उपाय विनियम, 2024 के विनियम 3 में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण उपायों का अनुपालन करना ;
- (ङ) नए बांधों के लिए उपाय :--इस विनियमके प्रारंभ होने के पश्चात् निर्मित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांधों को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट नवीनतम सुसंगत भारतीय मानक के अनुसार डिजाइन किया जाएगा ।

### अनुसूची 1

{विनियम 3(i) और विनियम 4(क) देखिए}

विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न अन्य बांधों की मुख्य विशेषताएं

1. बांध की विशिष्ट पहचान संख्यांक :
2. बांध का नाम:
3. बांध स्वामी :

4. बांध का प्रकार:
5. बांध की अधिकतम ऊंचाई (सामान्य नींव क्षेत्र के निम्नतम हिस्से से बांध के शीर्ष तक):
6. बांध की लंबाई:
7. स्थान (अक्षांश और देशांतर):
8. निकटतम शहर या कस्बा:
9. जिला:
10. राज्य:
11. निर्माण का वर्ष:
12. धारा, नदी का नाम:
13. बांध का प्रयोजन (सिंचाई या पेयजल आपूर्ति या अन्य):
14. डिज़ाइन की गई स्पिलवे क्षमता (घन मीटर प्रति सेकंड):

### अनुसूची 2

{विनियम 4(ख)(i) देखिए}

**निर्दिष्ट मिट्टी या रॉकफिल बांध से भिन्न किसी अन्य बांध के लिए निरीक्षण प्रारूप (जिसकी ऊंचाई तीन मीटर के बराबर या उससे अधिक हो)**

बांध का नाम : \_\_\_\_\_ बांध की पहचान संख्यांक \_\_\_\_\_

निरीक्षण की तारीख : \_\_\_\_\_ निरीक्षण का प्रकार : \_\_\_\_\_

टीम के प्रमुख का नाम : \_\_\_\_\_ अन्य निरीक्षणकर्ता : \_\_\_\_\_

क्या स्पिलवे बह रहा था ? यदि हाँ, तो स्पिलवे सिल के ऊपर पानी की गहराई कितनी थी ?

\_\_\_\_\_

यदि नहीं, तो स्पिलवे सिल स्तर से पानी कितनी दूर था ?

\_\_\_\_\_

क्या निम्न-स्तर आउटलेट खुला था ? यदि हाँ, तो अनुमानित निर्वहन दर क्या थी?

\_\_\_\_\_

### सारणी-1

क्या कोई स्पष्ट	पूर्ववर्ती निरीक्षण			वर्तमान निरीक्षण		
	हां	नहीं	लागू नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं
<b>दरार/दरारें हैं?</b>						
1. शिखर पर तटबंध में दरारें?						
2. अपस्ट्रीम ढलान पर तटबंध में दरारें?						
3. डाउनस्ट्रीम की ढलान पर तटबंध में दरारें?						
<b>वनस्पति वृद्धि और मलबा हैं?</b>						
4. तटबंधों या शिखर पर अत्यधिक वनस्पति वृद्धि?						

5. स्पिलवे चैनल को अवरुद्ध करने वाली वनस्पति या मलबा?						
<b>अपअवसंरचनात्मक समस्याएँ हैं?</b>						
6. शिखर पर सेटलमेंट?						
7. अपस्ट्रीम ढलान पर कीचड़, स्लाइड या उभार?						
8. डाउनस्ट्रीम ढलान पर कीचड़, स्लाइड या उभार?						
9. जलाशय के किनारे पर कीचड़, स्लाइड या उभार?						
10. स्पिलवे चैनल का कीचड़, स्लाइड या कटाव?						
11. शिखर पर सिंकहोल?						
12. अपस्ट्रीम ढलान पर सिंकहोल						
13. डाउनस्ट्रीम ढलान पर पतन?						
14. विस्थापित या टूटा हुआ रिप्रैप कवच?						
<b>रिसावहैं?</b>						
15. डाउनस्ट्रीम ढलान या टो पर गीले क्षेत्र या रिसाव?						
16. डाउनस्ट्रीम टो पर तालाब जैसा पानी?						
17. डाउनस्ट्रीम एबटमेंट के साथ गीले क्षेत्र या रिसाव?						
18. पाइपिंग की घटना?						
<b>पशु गतिविधि हैं?</b>						
19. बांध तटबंध पर पशुधन यातायात के संकेत?						
20. बांध तटबंध में कृतक बिल?						
<b>आउटलेट समस्याएँ हैं?</b>						
21. आउटलेट संचालन समस्याएँ?						
22. आउटलेट नाली का खराब होना?						
<b>स्पिलवे समस्याएँ हैं?</b>						
23. स्पिलवे अवरोध?						
24. डाउनस्ट्रीम स्पिल चैनल अवरोध?						
<b>कोई अन्य घटक या संकेतक, जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, जो सुसंगत हो सकता है</b>						

पाई गई किसी भी समस्या, चिंता या कमी पर टिप्पणी करें :

टिप्पण :

1. सारणी-1 में वर्तमान निरीक्षण के लिए किसी भी "हां" की दशा में, परियोजना प्राधिकारी तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार उपचारात्मक उपाय करेगा।
2. सारणी-1 में वर्तमान निरीक्षण और पूर्ववर्ती निरीक्षण दोनों के लिए किसी भी "हां" की दशा में, मामले को बांध की सुरक्षा के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत उक्त परियोजना के उच्चतम स्तर पर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

हस्ताक्षर

## अनुसूची 3

{विनियम 4 (ख)(ii) देखिए}

**विनिर्दिष्ट कंक्रीट या चिनाई बांध से भिन्न प्रत्येक बांधके लिए (जिसकी ऊंचाई तीन मीटर के बराबर या उससे अधिक हो)**  
**निरीक्षण प्रारूप**

बांध का नाम : \_\_\_\_\_ बांध की पहचान संख्यांक \_\_\_\_\_

निरीक्षण की तारीख : \_\_\_\_\_ निरीक्षण का प्रकार : \_\_\_\_\_

टीम के प्रमुख का नाम : \_\_\_\_\_ अन्य निरीक्षणकर्ता : \_\_\_\_\_

क्या स्पिलवे बह रहा था ? यदि हाँ, तो स्पिलवे सिल के ऊपर पानी की गहराई कितनी थी ?

यदि नहीं, तो स्पिलवे सिल स्तर से पानी कितनी दूर था ?

क्या निम्न-स्तर आउटलेट खुला था ? यदि हाँ, तो अनुमानित निर्वहन दर क्या थी?

## सारणी-1

क्या आपके बांध के निम्नलिखित घटक या संकेतक असंतोषजनक स्थिति में हैं? हाँ या नहीं?						
घटक की स्थिति	पूर्ववर्ती निरीक्षण			वर्तमान निरीक्षण		
	हां	नहीं	लागू नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं
<b>कंक्रीट या चिनाई अवसंरचना</b>						
1. बांध संरेखण						
2. जॉइंट फिलर सामग्री						
3. कंक्रीट या चिनाई सामग्री						
4. नालियां						
5. सार्वजनिक सुरक्षा संकेत						
<b>आउटलेट</b>						
1. आउटलेट पाइप						
2. ऊर्जा अपव्यय						
3. स्टिलिंग बेसिन						
4. नालियां						
5. आउटलेट चैनल						
6. मापन वियर						
7. आउटलेट नियंत्रण						
8. गेट						
<b>स्पिलवे</b>						
1. मलबा बूम						
2. प्रवेश						
3. सिल						

4. एप्रन						
5. दीवारें						
6. अपस्ट्रीम चैनल						
7. डाउनस्ट्रीम चैनल						
8. अपस्ट्रीम चैनल ढलान						
9. गेट						
कोई अन्य घटक, जिसका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, जो सुसंगत हो सकता है						

### सारणी-2

क्या निम्नलिखित में से कोई संभावित समस्या संकेतक पाए गए?

संकेतक	कंक्रीट याचिनाई संरचना						आउटलेट						स्पिलवे					
	पूर्ववर्ती निरीक्षण			वर्तमान निरीक्षण			पूर्ववर्ती निरीक्षण			वर्तमान निरीक्षण			पूर्ववर्ती निरीक्षण			वर्तमान निरीक्षण		
	हां	नहीं	लागू नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं
क) रिसाव																		
ख) बाहरीक्षरण																		
ग) दरारें																		
घ) सेटलमेंट																		
ङ) क्षैतिज गति																		
च) अत्यधिक मलबा																		
छ) वनस्पति																		

पाई गई किसी भी समस्या, चिंता या कमी पर टिप्पणी करें :

#### टिप्पण :

- वर्तमान निरीक्षण के लिए किसी भी "हां" की दशा में, परियोजना प्राधिकारी तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार उपचारात्मक उपाय करेगा।
- वर्तमान निरीक्षण और पूर्ववर्ती निरीक्षण दोनों के लिए किसी भी "हां" की दशा में, मामले को बांध की सुरक्षा के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत उक्त परियोजना के उच्चतम स्तर पर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

हस्ताक्षर

## अनुसूची 4

{विनियम देखिए 4(ख)(iii)}

**बांधों में हाइड्रो-मैकेनिकल घटकों के लिए निरीक्षण प्रारूप:**

1. क्या गेट का संचालन बिना किसी शोर के सुचारू और परेशानी मुक्त है? हाँ/नहीं
2. क्या संचालन के दौरान गेट और संरचना में अत्यधिक कंपन होता है? हाँ/नहीं
3. यदि हाँ, तो गेट के खुलने और पानी का स्तर क्या है? -----
4. क्या स्टॉपलॉग या बल्कहेड या रखरखाव गेट उपलब्ध है? हाँ/नहीं
5. क्या गेट संचालन के लिए बांध स्थलों पर डीजल जनरेटर सेट या पावर बैकअप उपलब्ध है? हाँ/नहीं
6. क्या गेट और होइस्ट की पेंटिंग संतोषजनक है? हाँ/नहीं

क्या नीचे उल्लिखित हाइड्रो-मैकेनिकल घटकों की स्थिति असंतोषजनक है?

घटक	पूर्ववर्ती निरीक्षण			वर्तमान निरीक्षण		
	हां	नहीं	लागू नहीं	हां	नहीं	लागू नहीं
<b>रेडियल गेट्स :</b>						
1. गेट लीफ, आर्म्स और गर्डर्स						
2. रबर सील						
3. गाइड रोलर्स						
4. टूनिंग						
5. सिल वीम और वॉल प्लेट जैसे एम्बेडेड पार्ट्स						
<b>वर्टिकल लिफ्ट गेट्स</b>						
1. एम्बेडेड पार्ट्स						
2. गेट लीफ						
3. रबर सील						
4. व्हील						
5. गाइड शूज़						
<b>रोप ड्रम होइस्ट और गैट्री क्रेन</b>						
1. वायर रोप						
2. टर्न बकल और रोप सॉकेट						
3. पुली						
4. लाइन शाफ्ट						
5. गियर और पिनिंग						
6. ब्रेक						
7. प्लमर ब्लॉक और बियरिंग्स						
8. वर्म गियर रिड्यूसर						
9. इलेक्ट्रिक मोटर्स						

10. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन						
11. संरचना, फ्रेम						
<b>हाइड्रोलिक होइस्ट और एचपीयू</b>						
1. हाइड्रोलिक सिलेंडर						
2. पाइपिंग/होसेस						
3. तेल टैंक						
4. प्रेशर लाइन फ़िल्टर और रिटर्न लाइन फ़िल्टर						
5. प्रेशर स्विच और रिलीफ वाल्व						
6. पंप मोटर						
7. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन						

**टिप्पण :** यदि आवश्यक हो तो बांध पर अन्य गेट संरचनाओं, जैसे इनटेक गेट, वाल्व आदि, को सम्मिलित करने के लिए इसकी अलग शीट जोड़ें।

**अतिरिक्त टिप्पणियाँ:**

- वर्तमान निरीक्षण के लिए किसी भी "हां" की दशा में, परियोजना प्राधिकारी तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार उपचारात्मक उपाय करेगा।
- वर्तमान निरीक्षण और पूर्ववर्ती निरीक्षण दोनों के लिए किसी भी "हां" की दशा में, मामले को बांध की सुरक्षा के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए तुरंत उक्त परियोजना के उच्चतम स्तर पर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

अनिल जैन, अध्यक्ष  
[विज्ञापन-III/4/असा./917/2024-25]

**NATIONAL DAM SAFETY AUTHORITY**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2025

**F. No. TE-32/2/2023-NDSA—** In exercise of the powers conferred by clause (s) of sub-section (2) read with section (1) of section 54 of the Dam Safety Act, 2021 (41 of 2021), the National Dam Safety Authority, on the recommendations of the National Committee on Dam Safety, hereby makes the following regulations, namely: —

- Short title and commencement.** – (1) This regulation may be called the Dam Safety Measures for Dams other than Specified Dams Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- Definitions;** - (1) In this regulation, unless the context otherwise requires, -

- “Act” means the Dam Safety Act, 2021(41 of 2021);
- “Authority” means the National Dam Safety Authority established under section 8 of the Act;
- “section” means a section of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined in this regulation but defined in the Act, shall have the same meanings respectively, as assigned to them in the Act.

- Measures to be taken by owners for dams other than specified dams having a height less than three meters;** - Every owner of the dam other than specified dam having a height less than three meters from the lowest portion of the general foundation area to the top of the Dam shall undertake following measures to ensure the safety of such dams namely; -



- (i) maintain the database of such dams in the proforma as specified in **Schedule I**;
- (ii) earmark sufficient and specific funds for maintenance and repairs of the dam other than the specified dams and implement the recommendations of the State Dam Safety Organisation;
- (iii) comply with the quality control measures as specified in regulation 3 of the Quality Control Measures for Dam Construction Regulations, 2024.

**4. Measures to be taken by owners of dams other than specified dams having height equal to or more than threemeters; Every owner of the dam other than specified dam having a height equal to or more than three meters above the lowest portion of the general foundation area to the top of the Dam shall undertake the following measures to ensure the safety of such dams namely; -**

- (a) maintain the database of such dams in the proforma as specified in Schedule I;
- (b) carry out at least one inspection during a year, preferably between January and May in the following manner, namely:
  - (i) every dam other than Specified Earthen or Rockfill dam inspection shall be recorded in the Form as specified in **Schedule II**;
  - (ii) every dam other than Specified Concrete or Masonry dam inspection shall be recorded in the Form as specified in **Schedule III**;
  - (iii) in addition to Schedule I or II, for every Dams other than specified dams having hydro-mechanical components, inspection shall also be recorded in the Form as specified in **Schedule IV**;
  - (iv) a copy of the inspection report shall be forwarded to the State Dam Safety Organisation concerned;
  - (v) the special inspections shall also be carried out immediately in case of any sign of distress or unusual behaviour is noticed in the dam, at any time;
  - (vi) dam owner shall take remedial measures as per advice of technical experts received after the inspection;
- (c) earmark sufficient and specific funds for maintenance and repairs of the dams other than specified dams and implement the recommendations of the State Dam Safety organisation;
- (d) comply with the quality control measures as specified in regulation 3 of the Quality Control Measures for Dam Construction Regulations, 2024.
- (e) measures for new dams;-The dams, other than specified dams to be constructed after the commencement of this regulation, shall be designed as per the latest relevant Indian Standards specified by the Bureau of India standards under the Bureau of India Standards Act, 2016 (11 of 2016).

**SCHEDULE I**

[See regulation 3(i) and 4 (a)]

**Salient Features of Dams other than specified dams**

1. Unique ID of the Dam:
2. Name of the Dam:
3. Dam Owner:
4. Type of Dam:
5. Maximum Height of Dam (from the lowest portion of the general foundation area to the top of the dam):
6. Length of Dam:
7. Location (Latitude and Longitude):
8. Nearest City or Town:
9. District:
10. State:
11. Year of Construction:
12. Name of Stream, River:
13. Purpose of Dam (Irrigation or Drinking water supply or Other):
14. Designed Spillway Capacity (Cubic Meter Per Second):

**SCHEDULE II****[See regulation 4 (b)(i)]****Inspection Form for a Dam other than Specified Earthen or Rockfill Dam (having height equal to or more than three meters)**

Dam Name: \_\_\_\_\_ Dam ID \_\_\_\_\_

Inspection Date: \_\_\_\_\_ Type of Inspections: \_\_\_\_\_

Name of head of the team: \_\_\_\_\_ Other Participants: \_\_\_\_\_

Was the spillway flowing? If yes, what was the water depth over the spillway sill?

\_\_\_\_\_

If no, how far was the water below the spillway sill level?

\_\_\_\_\_

Was the low-level outlet open? If yes, what was the approximate discharge rate?

\_\_\_\_\_

**Table-1**

<b>IS/ARE THERE ANY APPARENT</b>	<b>PREVIOUS INSPECTION</b>			<b>CURRENT INSPECTION</b>		
	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>
<b>CRACKS</b>						
1. Embankment cracks on the crest?						
2. Embankment cracks on the upstream slope?						
3. Embankment cracks on the downstream slope?						
<b>VEGETATION GROWTH AND DEBRIS</b>						
4. Excessive vegetation growth on embankments or crest?						
5. Vegetation or debris blocking the spillway channel?						
<b>STRUCTURAL PROBLEMS</b>						
6. Settlement on the crest?						
7. Slough, slides or bulges on the upstream slope?						
8. Slough, slides or bulges on the downstream slope?						
9. Slough, slides or bulges on the reservoir shore?						
10. Slough, slide or erosion of spillway channel?						
11. Sinkhole on crest?						
12. Sinkhole on the upstream slope?						
<b>IS/ARE THERE ANY APPARENT</b>	<b>PREVIOUS INSPECTION</b>			<b>CURRENT INSPECTION</b>		
<b>STRUCTURAL PROBLEMS</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>	<b>Y</b>	<b>N</b>	<b>NA</b>
13. Collapse on the downstream slope?						

14. Displaced or broken-down riprap armour?						
<b>SEEPAGE</b>						
15. Wet areas or seepage on downstream slope or toe?						
16. Ponded water at the downstream toe?						
17. Wet areas or seepage along downstream abutments?						
18. Occurrence of piping phenomenon?						
<b>ANIMALACTIVITY</b>						
19. Signs of livestock traffic across dam embankment?						
20. Rodent burrows in dam embankment?						
<b>OUTLET PROBLEMS</b>						
21. Outlet operating problems?						
22. Deterioration of the outlet conduit?						
<b>SPILLWAY PROBLEMS</b>						
23. Spillway blockage?						
24. Downstream spill channel blockage?						
<b>Any other Component or Indicator not mentioned above that may be relevant</b>						

Comment on any problems, concerns or deficiencies found:

**Note:**

1. In case of any “Yes” for current inspection in Table-1, the project authority shall take remedial measures as per advice of technical experts.
2. In case of any “Yes” for both current and previous inspection in Table-1, the matter should immediately be referred to the highest level of said project for further necessary action for the safety of the dam.

**Signature**

**SCHEDULE III**

[See regulation 4 (b)(ii)]

**Inspection Form for a Dam other than Specified Concrete or Masonry Dam (having height equal to or more than three meters)**

Dam Name: \_\_\_\_\_ Dam ID \_\_\_\_\_

Inspection Date: \_\_\_\_\_ Type of Inspection \_\_\_\_\_

Name of head of the team: \_\_\_\_\_ Other Participants: \_\_\_\_\_

Was the spillway flowing? If yes, what was the water depth over the spillway sill?

\_\_\_\_\_

If no, how far was the water below the spillway sill level?

\_\_\_\_\_

Was the low-level outlet open? If yes, what was the approximate discharge rate?

\_\_\_\_\_



Comment on any problems, concerns or deficiencies found:

**Note:-**

1. In case of any “Yes” for current inspection, the project authority shall take remedial measures as per advice of technical experts.
2. In case of any “Yes” for both current and previous inspection, the matter should immediately be referred to the highest level of said project for further necessary action for the safety of the dam.

**Signature**

**SCHEDULE IV**

[See regulation 4(b)(iii)]

**Inspection Format for Hydro-Mechanical Components in Dams:**

1. Is the Gate operation smooth and trouble-free without much noise? Y/N
2. Is there excessive vibration in gate and structure during operation? Y/N
3. If yes, at what gate opening and water level -----
4. Is Stoplog or Bulkhead or maintenance gate available? Y/N
5. Is Diesel Generator set or power backup available at dam sites for gate operation? Y/N
6. Is the painting of gates and hoists satisfactory? Y/N

Whether Condition of below mentioned Hydro-Mechanical components is **UNSATISFACTORY?**

Component	PREVIOUS INSPECTION			CURRENT INSPECTION		
	Yes	No	NA	Yes	No	NA
<b>Radial Gates:</b>						
1. Gate Leaf, Arms and girders						
2. Rubber Seals						
3. Guide Rollers						
4. Trunnion						
5. Embedded parts like sill beam and wall plate						
<b>Vertical Lift Gates</b>						
1. Embedded Parts						
2. Gate Leaf						
3. Rubber Seals						
4. Wheel						
5. Guide Shoes						
<b>Rope Drum Hoist and gantry cranes</b>						
1. Wire Rope						
2. Turn Buckles and Rope Socket						
3. Pulley						

Component	PREVIOUS INSPECTION			CURRENT INSPECTION		
	Yes	No	NA	Yes	No	NA
4. Line Shaft						
5. Gear & Pinion						
6. Brakes						
7. Plummer Block and Bearings						
8. Worm gear reducer						
9. Electric Motors						
10. Electrical connections						
11. Structure, frame						
<b>Hydraulic Hoist &amp; HPU</b>						
1. Hydraulic cylinder						
2. Piping/Hoses						
3. Oil tank						
4. Pressure line filter and return line filter						
5. Pressure Switches and relief valves						
6. Pump motor						
7. Electrical connections						

Note: Add separate sheet of this, if required, to cover other Gate Structures on the Dam, like Intake Gates, Valves, etc.

**Additional Comments:**

1. In case of any “Yes” for current inspection, the project authority shall take remedial measures as per advice of technical experts.
2. In case of any “Yes” for both current and previous inspection, the matter should immediately be referred to the highest level of said project for further necessary action for the safety of the dam.

ANIL JAIN, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./917/2024-25]